आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रपोषित योजनायें									
1–	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	1.कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है। 2.गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सदृढ़ीकरण। 3.स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना / कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन। 4.मूल्य संवर्द्धन माडल को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषको की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ	**6794.00**	–	वर्ष 2019–20 में 37 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 9 परियोजनायें पूर्ण हुयी तथा 28 परियोजनाओं पर कार्य संचालित रहा स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' प्रथम चरण का कार्य 5 जनपदों के 42 चयनित ग्रामों के 840 है0 में संचालित हुआ।	वर्ष 2020–21 में संचालित 28 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 15 परियोजनायें पूर्ण हो जाएंगी तथा 13 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण का कार्य 7 जनपदों के 1237 चयनित ग्रामों के 50,000 है0 में संचालित है।	वर्ष 2021–22 में वर्ष 2020–21 की 13 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2021–22 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण का कार्य 7 जनपदों के 1237 चयनित ग्रामों में 50,000 है0 कार्य सम्पादित किया जायेगा।	वर्तमान में संचालित 13 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा नयी परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा। 50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को शसक्त बनाना।			**सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति अपनी विभागीय सूचनाओं में उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–**				
	—तदैव —				**1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण (है0)** 63686 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय (सं0)– 85 **2. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम–** चैक डैम (सं0)–106 सुरक्षा दीवार (सं0)– 610 पौधरोपण / पौध रोपण (सं0) :– 7687 कुल आच्छादित क्षेत्रफल **(है0)** – 1820 **3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़–** 11639 मीटर लाभान्वित ग्राम–37 आ० क्षेत्रफल **(है0)**–622 **4. फसल उत्पादन कार्यक्रम–** फसल प्रदर्शन **(है0)**– 1138	**1.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण (है0)** 72,000 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय(सं0)–95 **2. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम–** चैक डैम (सं0) –65 सुरक्षा दीवार (सं0)– 190 पौधरोपण / पौध रोपण (सं0) :– 190 कुल आच्छादित क्षेत्रफल **(है0)**– 2500 **3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़–** 16030 मीटर लाभान्वित ग्राम–22 आ० क्षेत्रफल**(है0)**–738 **4. फसल उत्पादन कार्यक्रम–** **फसल प्रदर्शन(है0)**–726	**1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण (है0)** 8000 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय (सं0)–95 **2. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम–** परियोजना संचालित नहीं। **3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़** – 20,000 मीटर लाभान्वित ग्राम–25 आ० क्षेत्रफल**(है0)**–900 **4. फसल उत्पादन कार्यक्रम–** फसल प्रदर्शन**(है0)**–1000	1. जैविक कृषि के क्षेत्रफल एवं जैविक उत्पादन में वृद्धि होगी। 2. पूर्व वर्षों में संचालित कार्यों से भूमि एवं जल सरंक्षण हो रहा है। 3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। परती भूमि कृषि के अन्तर्गत आएगी। **4.** नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—तदैव —				बीज वितरण(कु0)–445 सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण (है०)–8533 , जल सवंहन पाईप वितरण (मी०)–11425 प्रशिक्षण (सं0)–14 **5. हिल सीड बैंक–** बीज उत्पादन – 2946 कु० **6. जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण**–1 (प्रगति पर)	बीज वितरण(कु0)–301 सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण (है०)–120, जल सवंहन पाईप वितरण (मी०) – 2300 प्रशिक्षण (सं0) –16 **5. हिल सीड बैंक–** बीज उत्पादन–4000 कु० **6. जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण**–1 (प्रगति पर) **7. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–** बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक(सं0)–28 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेंक (सं0)–36 सिंचाई टैंक(सं0)–33 चैक डेम(सं0)–806	बीज वितरण(कु0)–600 सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण (है०)–1200, जल सवंहन पाईप वितरण (मी०)–10000 प्रशिक्षण (सं0)–17 **5. हिल सीड बैंक–** बीज उत्पादन–4500 कु० **6.** जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण पूर्ण होगा। **7. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–** बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक(सं0)–35 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेंक (सं0)–40 सिंचाई टैंक(सं0)–40 चैक डेम(सं0)–850	उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। **5.** पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता होगी। **6.** कृषकों को जैविक कृषि की उन्नत तकनीकियों की जानकारी होगी। **7.** नमी, मृदा एवं जल संरक्षण होगा, सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर पैदा होगें एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—तदैव —					घास रोपण(है०)–1005 उद्यानीकरण(है०)–12958 **8. संग्रहण केन्द्र/मिनी कोल्ड रूम का निर्माण–** 5 संग्रहण केन्द्रो के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।	घास रोपण(है०)–1200 उद्यानीकरण(है०)–14000 **8. संग्रहण केन्द्र/मिनी कोल्ड रूम का निर्माण–** 20 संग्रहण केन्द्र प्रस्तावित	8.एकीकृत आदर्श कृषि ग्रामों में उत्पादों के तत्काल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध होगी, उत्पादों के विपणन से लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
2–	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं तिलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।	2432.10 + 71.37		**संचालित कार्यक्रम –** 1. प्रदर्शन (है0)– 6761 2. बीज वितरण (कुं0)–10675 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)– 45591 4. यंत्र वितरण (सं0)–1783 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–46745 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–89	**संचालित कार्यक्रम –** 1. प्रदर्शन (है0)– 6323 2. बीज वितरण (कुं0) –7410 3. पौध एवं मृदा /कीट प्रबन्धन (है0)–34538 4. यंत्र वितरण (सं0)–384 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–55547 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–80	**संचालित कार्यक्रम –** 1. प्रदर्शन (है0)– 6500 2. बीज वितरण (कुं0)–7500 3. पौध एवं मृदा/कीट प्रबन्धन (है0)–35000 4. यंत्र वितरण (सं0)–700 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–60000 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–80	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा,पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गेहूँ जनपद	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7. स्थानीय/अन्य पहल /टैंक/ आटा चक्की (सं0)–140 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 1375	7. स्थानीय/अन्य पहल/टैंक (सं0)–182 8. बीज उत्पादन (कुं0)–1836 9.कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु सहायता– 16	7. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–200 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 2000 9.कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु सहायता–15	चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग,उत्तरकाशी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़ मेंपौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज एवं तिलहन की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि।	
3–	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचांई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	4984.80	—	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)– 997 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां (सं0)– 10 3. HDPE पाईप (मी0)– 25385 4. जल पम्प(सं0)– 70 5. ट्यूबवेल (सं0)– 202	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)– 1775 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां (सं0)– 4 3. HDPE पाईप (मी0)– 1,50,000 4. जल पम्प(सं0)– 101 5. ट्यूबवेल(सं0)– 233 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 34 7.प्रशिक्षण/भ्रमण(सं0)– 35	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–2596 2. सामुदायिक सिंचाई नालियां (सं0)– 150 3. HDPE/ LDPE पाईप (मी0)– 2,20,000 4. जल पम्प(सं0)– 150 5. ट्यूबवेल(सं0)– 515 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 50 7. प्रशिक्षण/भ्रमण(सं0)– 35	उपलब्ध एवं वर्षा जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना, उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन									
4.	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।	**613.15**		**चयनित कलस्टर (सं0) – 52** **अ– एकीकृत कृषि प्रणाली** के अन्तर्गत प्रदर्शन (है0)– 3386 , **ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:–** **1.**मौन पालन कालौनी 475 **2.** साइलेज इकाई (सं0) 25 **3.** पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्ओरेज (सं0)– 42 **4.** जल प्रयोग एवं वितरण (है0)– 182 **5.** वाटर लिपिटिग डिवाईस (सं0) – 02 6. वर्मी कम्पोस्ट संरचनाए (सं0)–300 **7.** प्रशिक्षण एवं भ्रमण(सं0)– 125 **8.**ग्रीन हाउस / लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–1600	**चयनित कलस्टर (सं0) – 58** **अ– एकीकृत कृषि प्रणाली** के अन्तर्गत प्रदर्शन(है0) –2900 **ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:–** **1.**मौन पालन कालौनी 691 **2.** साइलेज इकाई (सं0)18 **3.** पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज(सं0) – 24 **4.** जल प्रयोग एवं वितरण (है0)– 200 **5.**वाटर लिपिटिग डिवाईस (सं0) – 02 6. वर्मी कम्पोस्ट संरचनाए (सं0)–261 **7.** प्रशिक्षण एवं भ्रमण (सं0)– 112 **8.** ग्रीन हाउस/ लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–3800	**चयनित कलस्टर (सं0) – 60** **अ– एकीकृत कृषि प्रणाली** के अन्तर्गत प्रदर्शन(है0) – 3000 **ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:–** **1.**मौन पालन कालौनी 800 **2.** साइलेज इकाई (सं0)20 **3.** पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज(सं0) – 28 **4.** जल प्रयोग एवं वितरण (है0)– 300 **5.** वाटर लिपिटिग डिवाईस (सं0)– 10 6. वर्मी कम्पोस्ट संरचनाए (सं0)–350 **7.** प्रशिक्षण एवं भ्रमण (सं0)– 125 **8.** ग्रीन हाउस/लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–4000	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	एक वर्ष
5.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. वर्ष 2017–18 से 2018–19 के चक्र में किये गये मृदा परीक्षण के आधार पर समस्याग्रस्त मृदा वाले	**757.95**	–	पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण 1.चयनित ग्रामों की संख्या	द्वितीय चक्र (2017–18 से 2018–19) में मृदा परीक्षण के आधार पर जिन ग्रामों में सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं सल्फर की कमी पायी गयी,	वर्ष 2020–21 की भांति चयनित 2609 ग्रामों में मृदा परीक्षण संस्तुति को आधार मानकर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किये	मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर कृषकों को पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु	

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ग्रामो एवं जिन ग्रामो की मृदा में पोषक तत्वो की कमी पायी गयी उनमे प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना।			– 95 2.मृदा नमूना परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण(सं0)–13645	भारत सरकार द्वारा चयनित उन ग्रामों में प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कराये गये। 1. ग्रामों की (सं0)– 2609	जायेंगे। इन ग्रामों में 26090 मृदा परीक्षण कर इतने ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जायेंगे।	जागरूक करने से कृषकों द्वारा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
6.	मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. सचल मृदा स्वास्थ्य परीक्षण वाहनो एवं ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओ की व्यवस्था।	**150.76**	–	योजना संचालित नहीं हुयी।	**1.** सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (सं0)–2 **2.** मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पिथौरागढ़ का सुदृढ़ीकरण – **3.** सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण (है0)– 16236	**1.** बायो फर्टिलाइजर एवं ऑर्गेनिक क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला की स्थापना (सं0)– 2 (रूद्रपुर एवं देहरादून) **2.** ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना – 8(5 ऊधमसिंहनगर +3 हरिद्वार)	बायो–फर्टिलाइजर एवं ऑर्गेनिक का गुणवत्ता परीक्षण होगा, जिससे कृषकों को गुणवत्तायुक्त सामग्री प्राप्त होगी। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कृषकसुगमतापूर्वक अधिक मृदा नमूनो का परीक्षण करा पायेंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना। परम्परागत एवं नयी तकनीकी को समावेश कर उत्पादो की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन में वृद्धि करना।	**8755.56**	–	वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 है0 में योजना संचालित है, जिसमें परम्परागत फसलें–2555, सब्जी / उद्यानीकरण /फूल–1241, रेशमविकास – 59 एवं सगन्ध पौध के – 45 कलस्टर चयनित किये गये हैं। इनसे पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। कलस्टरों में सम्पादित कार्य **1.** कलस्टर गठन(सं0) –3900 **2.**एक्सपोजर विजिट (सं0)– 3849 **3.**प्रशिक्षण (सं0) –11547 **4.**जैविक बीज वितरण (कु0)–1849 **5.**बायोफर्टिलाइजर / पेस्टीसाइड(कि0ग्रा0 / ली0) –152732	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग एवं कैप, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से निम्न कार्य किये जा रहे हैं :– **1.** कलस्टर गठन(सं0) –3900 **2.**एक्सपोजर विजिट (सं0)– 4052 **3.**प्रशिक्षण (सं0)–12943 **4.**जैविक बीज वितरण (कु0)–5418 **5.**बायोफर्टिलाइजर / पेस्टीसाइड(कि0ग्रा0 / ली0)– 142554	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग एवं कैप, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से निम्न कार्य किये जायेंगे:– **1.** कलस्टर गठन(सं0) –3900 **2.**एक्सपोजर विजिट (सं0)– 4052 **3.**प्रशिक्षण (सं0)–12943 **4.**जैविक बीज वितरण (कु0)–5717 **5.**बायोफर्टिलाइजर / पेस्टीसाइड(कि0ग्रा0 / ली0) –173325	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	तीन वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				–	**6.**प्रोम (कुं0)– 74505 **7.**वर्मी कम्पोस्ट / वर्मी बेड (सं0)–28984 **8.**वेस्ट डिकम्पोजर (पैकिंग) – 13880 **9.**पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पादन (मै0टन)–215540 **10.**पी0जी0एस0 विपणन (मै0टन)–86216 **11.**स्थानीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)–5517 **12.**राष्ट्रीय / राज्यस्तरीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)– 2971	**6.**प्रोम (कुं0)– 13353 **7.**वर्मी कम्पोस्ट / वर्मी बेड (सं0)–24878 **8.**वेस्ट डिकम्पोजर (पैकिंग) – 27116 **9.**पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पादन (मै0टन)–274482 **10.**पी0जी0एस0 विपणन (मै0टन)–116725 **11.**स्थानीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)–1120 **12.**राष्ट्रीय / राज्यस्तरीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)– 0	**6.**प्रोम (कुं0)– 76602 **7.**वर्मी कम्पोस्ट / वर्मी बेड (सं0)–30125 **8.**वेस्ट डिकम्पोजर (पैकिंग) – 30016 **9.**पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पादन (मै0टन)–301523 **10.**पी0जी0एस0 विपणन (मै0टन)–150760 **11.**स्थानीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)–6512 **12.**राष्ट्रीय / राज्यस्तरीय मेलों में प्रतिभाग (सं0)– 3013		एक वर्ष
8.	नैशनल बैम्बू मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बांस की खेती को प्रोत्साहन	**0.03**	–	योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।			कृषकों की आय में वृद्वि हेतु।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)									
9.	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1.लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2.कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3.फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4.सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5.प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना। 6.प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।	**5843.20**	–	**(इकाई संख्या में)** **1.** कस्टम हायरिंग सेन्टर –95 **2.** फार्म मशीनरी बैंक–460 **3.** ट्रैक्टर – 426 **4.** रोटावेटर –825 **5.** लेजर लैंड लेवलर –36 **6.** पावर वीडर – 1089 **7.** पावर टिलर – 156 **8.** ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र – 2566 **9.** रीपर–84 **10.**कृषि रक्षा यंत्र–1721 **11.** चैफ कटर–296 **12.** ब्रश कटर– 189 **13.** पशु चालित यंत्र–2000 **14.** मानव चालित यंत्र–100 **15.** हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–338	**(इकाई संख्या में)** **1.** कस्टम हायरिंग सेन्टर –46 **2.** फार्म मशीनरी बैंक–245 **3.** ट्रैक्टर – 70 **4.** रोटावेटर –240 **5.** लेजर लैंड लेवलर –15 **6.** पावर वीडर – 340 **7.** पावर टिलर – 40 **8.** ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र –934 **9.** रीपर–29 **10.**कृषि रक्षा यंत्र–600 **11.** चैफ कटर–115 **12.** ब्रश कटर– 45 **13.** पशु चालित यंत्र–0 **14.** मानव चालित यंत्र–0 **15.** हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–220 **16.** मिनी राईस मिल– 446 **17.** सिंचाई पम्प–10	**(इकाई संख्या में)** **1.** कस्टम हायरिंग सेन्टर –45 **2.** फार्म मशीनरी बैंक–400 **3.** ट्रैक्टर –200 **4.** रोटावेटर –390 **5.** लेजर लैंड लेवलर –50 **6.** पावर वीडर – 3000 **7.** पावर टिलर – 40 **8.** ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र –2015 **9.** रीपर–95 **10.**कृषि रक्षा यंत्र–300 **11.** चैफ कटर–250 **12.** ब्रश कटर– 100 **13.** पशु चालित यंत्र–800 **14.** मानव चालित यंत्र – 40200 **15.** हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–500 **16.** मिनी राईस मिल–200 **17.** आटा चक्की–1500 **18.** सिंचाई पम्प–15	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	कृषको को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	**603.39**	–	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 73996 2. आच्छादित क्षेत्रफल (है0)–19952 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)– 15186 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण(कुं0)–906	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–53506 2. आच्छादित क्षेत्रफल (है0)– 19010 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–14700 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण(कुं0)–1310	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–60000 2. आच्छादित क्षेत्रफल (है0)–22400 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण(कुं0)– 20000 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द, अरहर आदि) का बीज वितरण (कुं0)–2500	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	एक वर्ष
11.	NeGPA **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार।	**100.52**	–	विभिन्न विभागों को 77 कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध करायी गयी। उद्यान– 29 मत्स्य–10 राज्य स्तर / कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई–38	गत वर्ष वितरित कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री को प्रयोग में लाया गया।	विभिन्न विभागों / कार्यालयों हेतु 80 कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।	सूचनाओं का अद्यतन ऑनलाईन आदान–प्रदान	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास। 4. कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं का सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना। 5. कृषक समूह का गठन। 6. सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा क्रियान्वयन तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना।	**1115.93**	–	**(इकाई संख्या में)** **1.** कृषक प्रशिक्षण– 284 **2.** प्रदर्शन– 4582 **3.** भ्रमण कार्यक्रम–213 **4.** कृषक समूहों का गठन– 526 **5.** किसान मेलों का आयोजन–17 **6.** कृषक वैज्ञानिक संवाद–17 **7.** किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 159 **8.** कृषक पुरूस्कार–410 9. फार्म स्कूल–264 **10.** विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 56573 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक – बी0टी0एम0 96, डी0पी0डी0 26, सहायक लेखाकार 14, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14	**(इकाई संख्या में)** **1.** कृषक प्रशिक्षण– 424 **2.** प्रदर्शन– 8046 **3.** भ्रमण कार्यक्रम–136 **4.** कृषक समूहों का गठन– 680 **5.** किसान मेलों का आयोजन–13 **6.** कृषक वैज्ञानिक संवाद–12 **7.** किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 134 **8.** कृषक पुरूस्कार–300 9. फार्म स्कूल–272 **10.** विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक– 56793 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक – बी0टी0एम0 96, डी0पी0डी0 26, सहायक लेखाकार 14, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14	**(इकाई संख्या में)** **1.** कृषक प्रशिक्षण–450 **2.** प्रदर्शन–8300 **3.** भ्रमण कार्यक्रम– 300 **4.** कृषक समूहों का गठन – 800 **5.** किसान मेलों का आयोजन– 15 **6.** कृषक वैज्ञानिक संवाद– 15 **7.** किसान गोष्ठी / फील्ड–डे– 190 **8.** कृषक पुरूस्कार–375 9. फार्म स्कूल–280 10 विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –57000 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक – बी0टी0एम0 96, डी0पी0डी0 26, सहायक लेखाकार 14, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों एवं उन्नत प्रजातियों का प्रचार–प्रसार, उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	किसानों हेतु फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) **(50:50 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	1. किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। 2. खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। 3. किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। 4. उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।	**410.00**	–	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। **1.** बीमित कृषकों की संख्या– 1.43 लाख **2.** बीमित क्षेत्रफल– 0.82 लाख है0 **3.** बीमित धनराशि– 59403.00 लाख रूपये **4.** प्रीमियम की धनराशि– 1721.00 लाख रूपये **5.** क्लेम की धनराशि– 866.00 लाख रूपये **6.** लाभान्वित कृषक– 29468	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। **1.** बीमित कृषकों की संख्या–0.82 लाख **2.** बीमित क्षेत्रफल– 0.25 लाख है0 **3.** बीमित धनराशि– 17659.00 लाख रूपये **4.**प्रीमियम की धनराशि– 758.00 लाख रूपये **5.**क्लेम भुगतान खरीफ में– 52.70 लाख रूपये **6.**लाभान्वित कृषक (खरीफ में)– 5470	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 1.50 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। **1.** बीमित कृषकों की संख्या–1.00 लाख **2.** बीमित क्षेत्रफल– 0.75 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2020–21	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2020–22	समय अवधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कृषि गणना एवं कृषि सॉख्यिकी की एकीकृत योजना								
14.	क्षेत्रफल के अनुमान लगाने की योजना Timely Reporting Scheme (TRS) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल एवं कटाई से पूर्व उत्पादन का अनुमान लगाना।	**21.50**	–	**नियोजित एवं विश्लेषित प्रयोगों की संख्या** खरीफ–1689 रबी– 1689 जायद– 480 योग – 3858	**नियोजित एवं विश्लेषित प्रयोगों की संख्या** खरीफ–1689 रबी– 1689 जायद– 478 योग – 3864	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रयोग नियोजित एवं विश्लेषित किये जायेंगे। खरीफ – 1693 रबी – 1693 जायद – 478 योग – 3864	फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान होगा, जिसका अग्रिम आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	एक वर्ष
15.	फसल सांख्यिकी सुधार योजना Improvement In Crop Statistics (ICS) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।	**12.75**	–	**राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :–** 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम **क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच –** 1. फसल धान–100प्रयोग	**राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :–** 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270ग्राम **क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच –** 1. फसल धान–100प्रयोग	**राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श जांच कार्य निम्नानुसार किये जायेंगे :–** 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम **क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच –** 1. फसल धान–100 प्रयोग	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण कीप्रणाली में कमियों का पता लगाकर उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	एक वर्ष

आउटकम बजट वर्ष 2021–22

विभाग का नाम–कृषि विभाग **विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0– 2 Zero Hunger - (2.3)**

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021–22	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग **3.** फसल गेहूँ–120प्रयोग	**2.** फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग **3.** फसल गेहूँ–120प्रयोग	**2.** फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग **3.** फसल गेहूँ–120 प्रयोग		
16.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) **(100 प्रतिशत केन्द्रांश)**	1. किसानों को कृषि निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना। उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी।उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।	–	–	तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से समस्तपात्र किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में उपलबध कराये गये है। **1.** लाभान्वित कृषक– 7.02 लाख **2.** कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि–432.03 करोड़ रूपये	तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से समस्तपात्र किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में उपलबध कराये गये है। **1.** लाभान्वित कृषक–8.88 लाख (कर्मिक) **2.** कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि–514.42 करोड़ रूपये	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।	एक वर्ष